

अपने दावे के समर्थन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फार्म
जाति प्रमाणपत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती*/कुमारी*पुत्र/पुत्री*.....
ग्राम*/शहर*जिला*/अनुमंडल*राज्य/संघराज्यक्षेत्र* में
..... जाति/जनजाति* के/की हैं, जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* माना गया है:

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950.

@ संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951.

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्यक्षेत्र आदेश), 1951.

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (उपांतरण) आदेश, 1956 द्वारा यथा संशोधित), बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976.]

@ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.

@ संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959.

@ संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962.

@ संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962.

@ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964.

@ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967.

@ संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968.

@ संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968.

@ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978.

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978.

@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.

% 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से अन्य में आए हैं।

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती*..... पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी*.....
ग्राम/शहर*.....जिला/अनुमंडल*.....राज्य/संघ राज्यक्षेत्र*को, जो उस
जाति/जनजाति* से आते हैं, जिसे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र* में अनुसूचित जाति/जनजाति*

के रूप में माना जाता है,द्वारा दिनांकको जारी किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है।

% 3. श्री/श्रीमती*/कुमारी*और/या* उनका परिवार सामान्यतः राज्य/संघ राज्यक्षेत्र*केजिला/अनुमंडल के ग्राम/शहर* में निवास करता है।

हस्ताक्षर.....

** पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान..... राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

दिनांक.....

*उन शब्दों को निकाल दें, जो लागू नहीं होते हैं।

@ कृपया राष्ट्रपति के विनिर्दिष्ट आदेश को उद्धृत करें।

% उस पैराग्राफ को हटा दें, जो लागू नहीं होता।

टिप्पणी: यहाँ प्रयुक्त "सामान्यतः निवास करता है" पद का अर्थ वही होगा, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

** उन प्राधिकारियों की सूची, जिन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त है:

1. जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ शहर मजिस्ट्रेट/ अनुमंडल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक उपायुक्त।(फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे की पंक्ति का नहीं)
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे की पंक्ति का नहीं हो।
4. उस क्षेत्र का अनुमंडल अधिकारी, जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।
5. प्रशासक/ प्रशासक का सचिव/ विकासअधिकारी (लक्षद्वीप द्वीप समूह)।

नोट: निर्धारित प्रपत्र समय-समय पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन/ परिवर्तन के अधीन है।